रजिस्ट्री सं. डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1986/भाद्र 13, 1908
No. 57] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 1986/ BHADRA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1986

सं० 79/11/86-न्याय.—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 2 अक्तूबर, 1986 को वह तिथि नियुक्त करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त होगा ।

बी० एस० बधन,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1986

No. 79/11/86-Jus.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), the Central Government here by appoints the 2nd day of October, 1986, as the date on which the said Act shall come into force in the State of Uttar Pradesh.

J. S. BADHAN,
Joint Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PRINTED BY THE CONTROLLER OF PUBLICACIONS, DELHI, 1986